प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीजीसीएल) के थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशनों में ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा के परिणाम एवं 15 उपक्रमों की लेन देन लेखापरीक्षा के आधार पर ग्यारह कंडिकाए सम्मिलित हैं।

सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती हैं। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा सत्यापित लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा सम्पादित की जाती है और सीएजी अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरित करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत सीएजी तीन सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्पादित करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन अधिनियम, 1950 के अनुसार सीएजी मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। स्टेट फाइनेंसियल कार्पोरेशन अधिनियम, 1951 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा संपादित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी को मध्य प्रदेश वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा संपादित करने का अधिकार है। वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा संपादित लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संपादित करते हैं।

सीएजी द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19–अ के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के लेखों पर प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु शासन को जारी किया जाता है।

यह प्रतिवेदन निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है :

1. मध्य प्रदेश के 72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 36 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे 1990–91 से लंबित हैं। कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के अतिरिक्त लेखे संधारित करने में विलंब/असंधारण के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण, गबन व दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

2. विगत तीन वर्षों में लेखे अन्तिमिकृत करने वाले उन 57 उपक्रमों ने राज्य शासन की 6.72 प्रतिशत की औसत ऋण लागत के विरुद्ध औसत 0.88 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिफल (आरओआई) उत्पन्न किया। जिसके परिणामस्वरूप, केवल विगत तीन वर्षों में ही सरकारी कोष को लगभग ₹ 3,672.26 करोड़ की विचारमूलक हानि हुई। शेष 15 उपक्रमों, जिनके द्वारा लेखे अन्तिमिकृत नहीं किए, उनकी हानि, यदि कोई हो, को आंकलित नहीं किया जा सका।

3. मध्य प्रदेश शासन की लाभांश नीति का उल्लंघन करते हुए लाभ अर्जित करने वाले 25 उपक्रमों ने 2016–17 में उनके ₹ 187.45 करोड़ के लाभ पर ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

4. वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 क्रियाशील कम्पनियों द्वारा अंतिमिकृत 25 लेखों पर मर्यादित प्रमाणपत्र दिये। 15 कम्पनियों के 22 लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 65 मामले थे, जो कि कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।

5. यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर राज्य शासन ने ऐसे तीन कार्यशील उपक्रम, जिनके 2014–15 से 2016–17 के लेखे बकाया थे, को 2016–17 के दौरान ₹ 120.93 करोड़ की बजटीय सहायता और एक अकार्यशील उपक्रम को ₹ 0.73 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की।

6. राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन के 17 वर्ष बाद भी ₹ 36.98 करोड़ की अंश पूंजी व ऋण वाली छह उपक्रमों की संपत्तियों और देनदारियों का विभाजन उत्तराधिकारी राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पूर्ण नहीं कर सकी।

7. विद्युत वितरण कम्पनियाँ उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत चिन्हित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

8. मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचटी) सब–स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण पर हुई निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 2,458.51 करोड़ मूल्य के 25 टर्नकी कार्य अनुबंध और 13 अन्य कार्य अनुबंध सम्मिलित किये गए। इन कार्यों के निष्पादन में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे और इसके परिणामस्वरूप योजना और निष्पादन के सभी चरणों में अत्याधिक देरी और कमियां हुईं।

9. 2014–17 के दौरान मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के सभी चार थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशनों में ईंधन प्रबंधन पर लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि कम्पनी के ईंधन संबंधी मामलों में निगरानी और आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त थे जिसके कारण ईंधन की योजना, क्रय और खपत में अनियमितताएं हुई।

10. ₹ 8.39 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क न वसूले जाने और 12 रियायतग्राहियों से देरी से हुई वसूली पर ₹ 4.01 करोड़ के ब्याज न लगाए जाने, महंगी बिजली की खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 27.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, ₹ 6.70 करोड के दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य व्यय, जल प्रभार पर ₹ 1.66 करोड़ का परिहार्य व्यय और सक्रिय वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ₹ 9.79 करोड़ की ब्याज आय की हानि के प्रकरणों को प्रतिवेदित किया गया है।

लेखापरीक्षा को सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखों पर विनियम, 2007 एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित किया गया है।